न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–आर. के. जायसवाल, आई.ए.एस , कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट

प्रकरण संख्या :– 34/2019 (आर0सी0एम0एस0 नं0 2019/00058)

व उनवानी प्रकरण :–

1. गरीबा सिहं पुत्र सिरमौहर सिहं जाति गुर्जर निवासी धोंधे का पुरा थाना बाडी जिला धौलपुर———— .प्रार्थी ।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रैट एवं प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग जिला कलैक्ट्रैट धौलपुर————अप्रार्थी ।

प्रार्थना पत्र बावत आर्म्स अनुज्ञा पत्र बहाल/ नवीनीकरण अन्तर्गत धारा 54 आयुध नियम 1962

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी की ओर से :– श्री अशोक दिवाकर अभिभाषक ।
2. अप्रार्थी की ओर से :–सुश्री दिव्या कमठान अभियोजन अधिकारी।

निर्णय दिनांक 28.1.2020

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी श्री गरीबा पुत्र श्री सिरमौहर सिहं जाति गुर्जर निवासी धौंधे का पुरा थाना बाडी जिला धौलपुर द्वारा अपने शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 01/2002 जो कि दिनांक 31.12.2017 तक नवीनीकृत था, को आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण किये जाने हेतु दिनांक 21.12.2017 को प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी के आवेदन पत्र पर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक धोलपुर ने अपनी रिपोर्ट कमांक 1428 दिनांक 13.4.2018 व 2725 दिनांक 18.7.2018 से प्रार्थी के अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नही किये जाने की अनुसंषा की। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 01/2002 को दिनांक 20.9.2018 को निरस्त किये जाने के आदेश दिये गये थे ।

(आर0 के0 जायसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

उक्त आदेश दिनांक 20.9.2018 से व्यथित होकर प्रार्थी ने माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर में अपील दायर की। माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 19.7.2019 के द्वारा प्रार्थी की अपील स्वीकार कर अप्रार्थी के आदेश दिनांक 20.9.2018 को निरस्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया कि प्रार्थी को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर तथ्यों एवं संभावनाओं के परस्पर विरोधाभास को दूर करते हुए पुनः तार्किक एवं न्याय संगत आदेश पारित करें।

माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर के आदेश दिनांक 19.7.2019 की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया।

प्रार्थी की ओर से श्री अशोक दिवाकर अभिभाषक उपस्थित हुऐ। अप्रार्थी की ओर से सुश्री दिव्या कमठान अभियोजन अधिकारी उपस्थित हुई। प्रकरण में अनुज्ञा पत्र बहाली/नवीनीकरण के सम्बन्ध में दिनांक 7.8.2019, दिनांक 2.9.2019, से जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट चाही गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 18.10.2019 द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में थानाधिकारी थाना बाडी मार्फत वृत्ताधिकारी वृत्त बाडी से जांच कराई गई। उक्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 666/15 धारा 13 आरपीजीओ चार्जशीट नम्बर 317 दिनांक 31.10.2015 किता कर पेश न्यायालय की गई जिसमें दिनांक 4.1.2016 को 100/–रूपये का जुर्माना माननीय न्यायालय ए सी जे एम नम्बर 1 बाडी द्वारा किया गया । मुकदमा नम्बर 713/14 धारा 13 आरपीजीओ चार्जशीट नम्बर 372 दिनांक 28.11.2014 किता कर पेश न्यायालय की गई जिसमें दिनांक 1.12.2014 को 100/–रूपये जुर्माना माननीय न्यायालय ए सी जे एम नम्बर 1 बाडी द्वारा किया गया। मुकदमा नम्बर 150/04 धारा 13 आरपीजीओ चार्जशीट नम्बर 78 दिनांक 18.4.2004 किता कर पेश न्यायालय किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने रिपोर्ट में यह भी अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा इस अवधि में शस्त्र का कोई दुरूपयोग नहीं किया है। प्रार्थी के खिलाफ पूर्व में नवीनीकरण दिनांक 31.12.2017 के बाद कोई अभियोग पंजीबद्ध नहीं हुआ है। प्रार्थी के विरूद्ध पूर्व में तीन अभियोग दर्ज हैं जिनमें न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। प्रार्थी के शस्त्र का भौतिक सत्यापन कर लिया गया है तथा वैध अवधि समाप्त होने पर शस्त्र जमा कर लिया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी उक्त रिपोर्ट में प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को बहाल/नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थी ने अपने शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 01/2002 को

(आर0 के0 जायसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

समयावधि में नवीनीकरण कराये जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र दिनांक 21.12.2017 को अप्रार्थी के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट में अकिंत किया कि प्रार्थी के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 666/15 धारा 13 आरपीजीओ चार्जशीट नम्बर 317 दिनांक 31.10.2015 किता कर पेश न्यायालय किया गया जिसमें दिनांक 4.1.2016 को 100/—रूपये का जुर्माना माननीय न्यायालय ए सी जे एम नम्बर 1 बाडी द्वारा किया गया। मुकदमा नम्बर 713/14 धारा 13 आरपीजीओ चार्जशीट नम्बर 372 दिनांक 28.11.2014 किता कर पेश न्यायालय किया गया जिसमें दिनांक 1.12.2014 को 100/—रूपये जुर्माना माननीय न्यायालय ए सी जे एम नम्बर 1 बाडी द्वारा किया गया। मुकदमा नम्बर 150/04 धारा 13 आरपीजीओ चार्जशीट नम्बर 78 दिनांक 18.4.2004 किता कर पेश न्यायालय किया गया है। उक्त तीनों प्रकरणों में निस्तारण हो चुका है। प्रार्थी ने वर्ष 2014 से 2017 के बीच में शस्त्र का कोई दुरूपयोग नहीं किया है। इस तथ्य को जिला पुलिस अधीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है। प्रार्थी के विरूद्ध वर्ष 2017 के पश्चात् कोई अभियोग दर्ज नहीं हुआ है। इस तथ्य की पुष्टि पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट से होती है। उक्त प्रकरणों के परिपेक्ष्य में नवीनीकरण नहीं किये जाने की अभिशंषा किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थी का चाल चलन अच्छा है। शस्त्र वैध अवधि समाप्ति होने के बाद से पुलिस थाना बाडी में जमा है। प्रार्थी एक सीधा सादा व्यक्ति है। प्रार्थी को जानमाल की सुरक्षा हेतु शस्त्र की आवश्यकता है। शस्त्र थाने में जमा है जिसके खराब होने की आशंका है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 01/2002 को नवीनीकरण किये जाने के आदेश दिये जावे।

अप्रार्थी के विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस के दौरान तर्क किया कि प्रार्थी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसके विरूद्ध थाना बाडी में तीन मुकदमें दर्ज हुऐ है जिनमें जुर्माना राशि से प्रार्थी को दण्डित किया गया । प्रार्थी एक झगड़ालू किस्म का व्यक्ति है, जो कभी भी हथियार का दुरूपयोग कर कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति भंग कर सकता हैं। ऐसे हालातों के मद्दे नजर लोकशान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से एवं शस्त्र के दुरूपयोग होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है, जो कतही गलत नहीं है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने भी अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंसा की है। आदेश दिनांक 20.9.2018 को कानून के दायरे में रहकर ही पारित किया गया है, जो पूर्णरूपेण न्यायसंगत है, जिसमें कतई किसी हस्तक्षेप कल आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

दोनों पक्षों के विद्धान अभिभाषकगणों की वहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन किया गया । प्रार्थी ने समयावधि में अपना शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण हेतु अप्रार्थी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर जिला

(आर0 के0 जायसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा शस्त्र का दुरूपयोग नहीं किया गया है। प्रार्थी के विरूद्ध वर्तमान में थाने पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। प्रार्थी का शस्त्र समयावधि बाद से थाने में जमा है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी के विरूद्ध तीन प्रकरण वर्ष 2004, 2014, 2015 अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के दर्ज होना अकिंत किया है जिनमें सभी का निस्तारण हो चुका है जिसमें प्रार्थी को अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। वर्ष 2014 के पश्चात् प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र वर्ष 2017 तक नवीनीकरण किया गया है। वर्ष 2015 के पश्चात् प्रार्थी के विरूद्ध कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ हैं। वर्ष 2004 से वर्ष 2017 तक जब जब भी शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण किया गया तब तब नवीनीकरण के सम्बन्ध में पुलिस विभाग की रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें नवीनीकरण किये जाने की सिफारिश की गई। वर्ष 2017 में नवीनीकरण की सिफारिश नहीं करने का कोई औचित्य नहीं है। हमारी राय में जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण रोका जाना न्यायोचित नहीं हैं यदि नवीनीकरण रोका गया तो विधिक प्रावधानो एवं न्याय के प्राकृति सिद्धान्तो के विपरीत होगा । हमारे विनम्र मत में एक अनुज्ञापत्रधारी का शस्त्रधारक बने रहने का मुख्य आधार उसका नेक चाल–चलन ही महत्वपूर्ण होता हैं । जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट में प्रार्थी के खिलाफ मुकदमा दायर होना अकिंत है एवं उनका बरी होना भी अकिंत है। जिन मुकदमों का हवाला दिया गया है वह 13 आरपीजीओ के हैं एवं यह भी स्पष्ट कि उन प्रकरणों में लाईसैन्सी हथियार का दुरूपयोग नहीं किया गया है। ऐसा भी कोई तथ्य अदालत के समक्ष नहीं आया जिससे यह जाहिर होता हो कि किसी संगीन अपराध का ऐसा कोई प्रकरण प्रार्थी के खिलाफ दायर हुआ हो अथवा उसमें सजा हुई हो। जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट में भी लाईसेन्सी हथियार के दुरूपयोग अथवा किसी संगीन अपराध का भी हवाला नहीं किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण नहीं किया जाना न्यायाचित नहीं है। राज्य सरकार के गृह (ग्रुप–9) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र कमांकः प.1.(13)गृह–9/2006 दिनांक 16.12.2006 के बिन्दु संख्या 5 के उप बिन्दु (5.2.4) में अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण आवेदन के निस्तारण बावत निर्देश दिये गये हैं कि **"तदन्तर अनुज्ञापन अधिकारी अनुज्ञापत्र धारी के आचरण बावत संतुष्टि की जाकर अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण करेगा।"** राज्य सरकार के परिपत्र की पालना में प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण किया जाना उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी श्री गरीबा सिहं पुत्र सिरमौहर सिहं जाति गुर्जर निवासी धोंधे का पुरा थाना बाडी जिला धौलपुर के आर्म्स अनुज्ञा पत्र संख्या 01/2002 को नवीनीकरण किया जाना उचित समझते है।

(आर0 के0 जायसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी गरीबा सिहं पुत्र सिरमौहर सिहं जाति गुर्जर निवासी धोंधे का पुरा थाना बाडी जिला धौलपुर का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 01/2002 को दिनांक 31.12.2020 तक नवीनीकरण किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति अप्रार्थी एवं जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर को दी जावे। पत्रावली फैसलशुमार हो। बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.1.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राकेश कुमार जायसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर